



सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 25 फाल्गुन, 1942 (श०)
16 मार्च, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 193

(1)	शिक्षा विभाग	131
(2)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	05
(3)	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	21
(4)	समाज कल्याण विभाग	14
(5)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	03
(6)	खान एवं भूत्व विभाग	04
(7)	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	02
(8)	परिवहन विभाग	07
(9)	मध्य नियेध, उत्पाद एवं निवंधन विभाग	05
(10)	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	01

पर्यावरण स्थल विकासित करना

*1095. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण के केसरिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित सरोतर झील पूरे चम्पारण का नौरव है तथा यहाँ प्रत्येक साल साइबेरियन पक्षी हजारों की संख्या में आते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपर्युक्त सरोतर झील का सौंदर्यकरण करते हुये उसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

परीक्षाफल प्रकाशित कर नियुक्ति करना

*1993. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिओँव (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि माध्यमिक (वर्ग 9 एवं 10) तथा उच्च माध्यमिक (वर्ग 11 एवं 12) विद्यालय हेतु 37335 (सैंतीस हजार तीन सौ पैंतीस) शिक्षकों की नियुक्ति के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (एस०टी०इ०टी०) 2019 का परीक्षा परिणाम प्रकाशित नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त परीक्षा का परिणाम प्रकाशित कर नियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण करना

*1994. श्री शमीम अहमद (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के नरकटिया विधान सभा क्षेत्र के छाड़ादानों प्रखंड में 10+2 श्री हेमराज दास इंटरस्टरीय विद्यालय में स्टेडियम नहीं रहने के कारण बच्चों के साथ-साथ खेल प्रेमियों को कठिनाई हो रही है, जबकि उक्त विद्यालय में आवश्यक भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का आवंटन करना

*1995. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसढ़)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 से राशि का आवंटन नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इस मद में राशि का आवंटन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण करना

*1996. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौडाबौराम)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल में अवस्थित अवर निबंधन कार्यालय का अपना भवन नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अवर निबंधन कार्यालय, बिरौल का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-दिनांक 5 मार्च, 2021 को सदन द्वारा पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में स्थानान्तरित।

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिलान्तर्गत अवर निवंधन कार्यालय, बिरौल, वर्तमान में बिरौल अनुमंडल में अवस्थित पुराने जिला परिषद् के कार्यालय भवन में सुचारू रूप से कार्य करने के पूर्व, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, संरचना प्रमंडल, दरभंगा से सभी आवश्यक कार्यों का जीर्णोद्धार कराकर दिनांक 1 सितम्बर, 2020 से कार्यरत है।

(2) समाहर्ता द्वारा अंचलाधिकारी को भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। भूमि को उपलब्धता के उपरान्त भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी।

अनिवार्य भाषा के रूप में शामिल करना

*1997. श्री अखतरुल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में मैट्रिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में उर्दू विषय को अनिवार्य की श्रेणी से हटाकर ऐच्छिक विषय की श्रेणी में वर्ष 2020 से कर दिया गया है, जबकि उर्दू राज्य की द्वितीय भाषा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उर्दू विषय को उर्दूभाषी विद्यार्थियों के लिये मैट्रिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में अनिवार्य भाषा के रूप में सम्मिलित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

प्राथमिक विद्यालय खोलना

*1998. श्री सुरेन्द्र मेहता (क्षेत्र संख्या-142 बछवाड़ा)—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखण्ड अन्तर्गत चमथा-2 पंचायत के गोप टोल महादलित महल्ला में प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण महादलित परिवार के बच्चों को 2 किलो मीटर दूर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार चमथा-2 के गोप टोल महादलित महल्ला में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

छात्रावास का निर्माण

*1999. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपेंटी (अ0जा0))—क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपेंटी प्रखण्ड के ईशीपुर बाराहट में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के छात्र-छात्राओं के लिये छात्रावास नहीं है, जिससे छात्र-छात्राओं को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्ड के ईशीपुर बाराहट में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के छात्र-छात्राओं के लिये छात्रावास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

विद्यालय का निर्माण कराना

*2000. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ0जा0))—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिले के नौहटा प्रखण्ड अन्तर्गत यदुनाथपुर पंचायत में अवस्थित जारादाग गाँव में सरकारी विद्यालय नहीं होने के कारण सैकड़ों बच्चों को गाँव से 4 किलो मीटर दूर जाना पड़ता है, जिसके कारण उक्त गाँव के सैकड़ों बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त गाँव में विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

प्रोन्नति दिलाना

*2001. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेंडे)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत नियमित वेतनमान में सभी स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षक जिनका कार्यकाल चार वर्ष पूर्ण हो गया है, वैसे शिक्षकों का प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति देने का प्रावधान है और प्रोन्नति हेतु सभी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का काठोसिलिंग कार्य भी पूरा हो गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जिला के सभी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधूरे भवन का निर्माण कार्य पूरा कराना

*2002. श्रीमती किरण देवी (क्षेत्र संख्या-192 संदेश)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत संदेश विधान सभा क्षेत्र के उद्वत्तनगर प्रखण्ड के उच्च विद्यालय, बेलाडर का भवन निर्माण अधूरा है जिसके कारण विद्यार्थियों को पठन-पाठन में बाधा हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के अधूरे भवन का निर्माण कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण

*2003. श्री सुरेन्द्र राम (क्षेत्र संख्या-119 गरखा (A0 जा0))--क्या मंत्री, अनु० जाति एवं जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के कुल 8386 पंचायतों के दलित/महादलित बस्ती में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड योजना अंतर्गत भवन का निर्माण कराने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2010 में निर्णय लिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजनान्तर्गत जमीन की अनुपलब्धता के कारण विगत दस वर्षों में मात्र 4898 इकाई की स्वीकृति प्रदान की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण का सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण कराने का विचार रखती हैं, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय का निर्माण

*2004. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरुआ प्रखण्ड के पलुहाया पंचायत के ग्राम-औराडीह में प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण बच्चों को पठन-पाठन हेतु तीन कि० मी० पर स्थित चासी उत्क्रमित उच्च विद्यालय जाना पड़ता है, जिससे बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिमा स्थापित करना

*2005. श्री इजहारुल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोटिया प्रखण्ड के रायपुर पंचायत में स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉ० अब्दुल कलाम के नाम पर की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में डॉ० अब्दुल कलाम की प्रतिमा स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

*2006. श्री भूदेव चौधरी (क्षेत्र संख्या-160 धोरेया (अ० जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत रजौन प्रखण्ड में स्थित राजकीय उच्च विद्यालय, जेहौर का भवन 25 वर्षों से जर्जर होने के कारण 400 बच्चों का पठन-पाठन दो कमरे में ही चल रहा है, साथ ही विद्यालय में उपस्कर नहीं होने के कारण बच्चे जमीन पर बैठकर पठन-पाठन कर रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन का जीणोंदार एवं उपस्कर की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

*2007. श्री मोहम्मद कामरान (क्षेत्र संख्या-238 गोविन्दपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत गोविन्दपुर प्रखण्ड में उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण 07 पंचायतों के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नवादा जाना पड़ता है साथ ही पचास प्रतिशत छात्र-छात्राएँ डिग्री की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार गोविन्दपुर प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनियमितता की जाँच कराना

*2008. श्री जितेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-17) अस्थावां)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत सरमेरा प्रखंड स्थित 10+2 उच्च विद्यालय, सरमेरा को उपस्कर प्रयोगशाला सामग्री, पुस्तक अन्य सामग्री खरीद हेतु 10 लाख रुपये की राशि अप्रैल, 2020 को मिली थी जिसे उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को सेवानिवृत्ति के दिन घटिया सामग्रियों के खरीद कर विद्यालय में रख दिया गया, उक्त सामग्री की खरीदारी हेतु विद्यालय प्रबंधक समिति का अनुमोदन नहीं लिया गया और नहीं सेवानिवृत्ति के बाद विद्यालय का प्रभार किसी को सौंपा गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्कर सहित अन्य सामग्रियों की खरीदारी में की गई अनियमितता की जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण कराना

*2009. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चौरैया)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के चौरैया प्रखंड के सेमरा पंचायत के शिवगोला स्थित खेल मैदान में खेल से जुड़ी गतिविधियां सालों भर चलती रहती हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त खेल मैदान में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मध्य विद्यालय में उत्क्रमित करना

*2010. श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र संख्या-113 एकमा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि छपरा जिला के एकमा प्रखंड अन्तर्गत 113, एकमा विधान सभा क्षेत्र में लड़के-लड़कियों के लिये प्राथमिक विद्यालय, राजापुर, कन्या प्राथमिक विद्यालय, भरहोपुर मठिया एवं प्राथमिक विद्यालय, खजुआन की छात्र-छात्राओं को प्राथमिक विद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्ति के बाद मध्य विद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्ति हेतु कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अंकित प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आधारभूत संरचनाओं का विकास

*2011. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि 2014 में राज्य के सभी उच्च विद्यालयों को एक साथ बिना शिक्षकों की बहाली किये बिना आधारभूत संरचना के प्लस टू में अपग्रेड कर दिया गया था ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उत्क्रमण के सात साल बाद भी सूबे अधिकांश प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों को पदस्थापन और आधारभूत संरचनाएँ विकसित नहीं हो पायी हैं ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों के पदस्थापन और आधारभूत संरचनाओं का विकास का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पाठ्यक्रम में शामिल करना

*2012. श्री सत्यदेव गाम (क्षेत्र संख्या-107 दौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बाबा साहब डॉ० भीमराव अम्बेदकर द्वारा भारतीय संविधान की रचना की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बाबा साहब का जीवन परिचय राज्य के कक्षा छः से इंटरमीडिएट तक के पाठ्य पुस्तकों में शामिल नहीं रहने के कारण बच्चे, बाबा बी० आर० अम्बेदकर की जीवनी से अपरिचित रह रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बाबा साहब की जीवनी को बिहार राज्य में पाठ्यक्रम में रूप में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2013. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहापर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक प्रखंड स्थित इन्टर स्कूल, खरीक का चहारदीवारी नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में व्यवधान उत्पन्न होता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इन्टर स्कूल, खरीक में चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*2014. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पश्चिमी लोहानीपुर स्थित उपाध्याय लेन (रेलवे हण्डर पथ) में राजकीय मध्य विद्यालय का भवन काफी पुराना एवं जर्जर रहने के कारण लॉकडाउन अवधि में छवस्त होकर गिर गया जिससे उक्त विद्यालय में अध्ययनरत 400-500 छात्रों का पठन-पाठन अवरुद्ध हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण हेतु पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डॉ० सी० पी० ठाकुर ने वर्ष 2006 एवं 2009 में मुख्यमंत्री को पत्र लिया गया था, जिसे मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्रांक 5541377, दिनांक 30 मई, 2006 एवं पत्रांक 5541358, दिनांक 12 अगस्त, 2009 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग को भेजा गया था, जो आजतक लिखित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त विद्यालय के लिये भवन बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण कराना

*2015. श्री फतेबहादुर सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला में डिहरी प्रखंड अन्तर्गत दरिहट में रामप्यारी बालिका उच्च विद्यालय को 2014 में रामप्यारी बालिका (+2) उच्च विद्यालय में उल्कमित किया गया, लेकिन अभीतक विद्यालय का भवन का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यवाई करना

*2016. श्री बीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 बजौरगंज)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत जिला कल्याण पदाधिकारी श्री नागेन्द्र पासवान द्वारा भीमराव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय में सरकारी नियम के विरुद्ध मरम्मती, रंगाई-पुताई एवं घोजन हेतु सामग्री आपूर्ति के लिये करोड़ों रुपये का अनियमित भुगतान का आदेश दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उनके द्वारा खर्च की गयी राशि की जाँच करवाकर दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन वापस करना

*2017. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मगध विश्वविद्यालय की 118 एकड़ जमीन आई०आई०एम० बोध गया के निर्माण के लिये वर्ष 2015 में दिया गया है, जिसे अब शुरू किया गया है, जिसके कारण विश्वविद्यालय के छ: छात्रावास, एक स्टेडियम, पैंटीस स्टाफ क्वार्टर आई०आई०एम० के हिस्से में चला गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन मगध विश्वविद्यालय बनाने के लिये बोधगया मठ द्वारा दान में मिली थी, जबकि तत्कालीन वीसी और राज्य सरकार ने छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों, एवं विश्वविद्यालय के हितों की अनदेखी कर इसे आई०आई०एम० को सौंप दिया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विश्वविद्यालय परिसर की जमीन वापस कर आई०आई०एम० के लिये कोई और विकल्प देखने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यवाई करना

*2018. श्री लखेन्द्र कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-130 पातेपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनान्तर्गत लाभुकों को राशि का भुगतान सी०डी०पी०ओ० के स्तर से डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत पातेपुर विधान सभा के जन्दहा एवं पातेपुर प्रखण्ड के सभी पंचायतों खासकर मरुई पंचायत में इस योजना के अन्तर्गत जिन माताओं ने 8-10 वर्ष पूर्व बंध्याकरण करा चुकी हैं, उन्हें लाभार्थी बनाकर वर्तमान में लाभ देते हुये 50 प्रतिशत राशि की माँग सी०डी०पी०ओ० द्वारा की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर संबंधित अधिकारी पर कार्यवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अन्तर राशि का भुगतान

*2019. श्री शाहनवाज (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल०पी०ए० 43/2016 में दायर याचिका के आलोक में दिनांक 13 अगस्त, 2019 को आदेश पारित किया है कि राज्य के मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को वर्ष 2006 से 2012 तक का बकाया अन्तर राशि का भुगतान किया जाये, लेकिन आजतक उक्त विद्यालयों का बकाया अन्तर राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त आदेश की अवहेलना करने वाले पदाधिकारी पर कार्यवाई करते हुये अन्तर राशि का भुगतान कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

10+2 आवासीय विद्यालय खोलना

*2020. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली प्रखण्ड में आवासीय 10+2 विद्यालय नहीं रहने से इस क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति तबके के छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखण्ड में अनुसूचित जाति/जन-जाति 10+2 आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2021. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर राज्य में हजारों शिक्षकों की नियुक्ति होने की शिकायत मिलने पर वर्ष 2010 के जून में ही राज्य सरकार के द्वारा तमाम शिक्षकों के शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, चयनसूची, मेधा सूची आदि प्रपत्रों का सत्यापन मार्च, 2011 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया था, जो अभीतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपर्युक्त निर्देश का कार्यान्वयन नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

क्षति से बचाना

*2022. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपटटी)--क्या मंत्री, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के प्रखण्ड नानपुर के पंचायत जानीपुर में 250 की संख्या में बनैला सूअर एवं 50 की संख्या में नीलगाय का वास हो जाने के कारण फसलों को काफी नुकसान हो रहा है, किसान काफी परेशान है, यदि हाँ, तो नीलगाय एवं बनैला सूअर से फसलों की क्षति से बचाने हेतु क्या कार्य योजना है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अभीतक सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखण्ड के पंचायत जानीपुर के ग्रामीणों द्वारा अथवा जिला प्रशासन/अंचलाधिकारी, नानपुर से बनैला सूअर एवं घोड़परास (नीलगाय) का वास होने एवं फसल नुकसान की कोई सूचना, नहीं है। पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या बन्यप्राणी-01/13-81(इ०)/प०व०, दिनांक 17 जनवरी, 2019 तथा मुख्य बन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार के कार्यालय आदेश संख्या बन्यप्राणी-01-सह-पठित ज्ञापांक बन्यप्राणी 65, दिनांक 25 जनवरी, 2019 द्वारा घोड़परास (नीलगायों) एवं जंगली सूअरों पर प्रभारी नियंत्रण हेतु बन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिनियम के अनुसूची III के क्रमांक 14 तथा 19 पर अंकित वैसे घोड़परास (नीलगायों) तथा जंगली सूअर जो किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान करते हों, को बिहार राज्य की सीमा के अन्तर्गत बन प्रमण्डल पदाधिकारियों को 100 तथा बन संरक्षक को 500 तक घोड़परास (नीलगाय) तथा जंगली सूअर को मारने हेतु अनुमति देने की शक्तियों प्रत्यायोजित की गयी है।

वर्तमान में राज्य सरकार के संकल्प संख्या बन्यप्राणी 02/2002-1125 (इ०/प०व०/ज०प०, दिनांक 23 सितम्बर, 2020 के अनुसार जंगली जानवर/बन्यप्राणी (हाथी एवं जंगली सूअर) के द्वारा फसल क्षति किये जाने पर रु 25,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा भुगतान करने का प्रावधान है। घोड़परास से फसलों की क्षति होने पर सहाय्य राशि भुगतान का प्रावधान नहीं है।

+2 की पढ़ाई प्रारंभ करना

*2023. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झाङ्झारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुधनी जिलान्तर्गत लखनौर प्रखण्ड के ग्राम पंचायत राज दीप (पश्चिमी) स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय को उत्क्रमित हुये 7 वर्ष हो गये हैं, जहाँ अभी तक +2 की पढ़ाई प्रारंभ नहीं होने के कारण 10वीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को अध्ययन के लिये दूर के विद्यालय में जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में +2 की पढ़ाई प्रारंभ करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*2024. श्री सुधांशु शेखर (क्षेत्र संख्या-31 हरलाखी)---क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड के पिपरौन पंचायत के ग्राम-दुर्गापट्टी, बार्ड नम्बर 15, पंचायत कौवाहा, बरही के बार्ड नम्बर 9 एवं पंचायत लौरहर के बार्ड नम्बर 2 तथा मधवापुर प्रखंड के उत्तर पंचायत के बार्ड नम्बर 4 में आँगनबाड़ी केन्द्रों पर सेविका/सहायिका बहाली की प्रक्रिया धीमी गति से हो रही है, जिसके कारण नौनिहाल व गर्भवती महिलायें लाभ से बचत रह रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थानों पर सेविका/सहायिका की नियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2025. श्री दामोदर रावत (क्षेत्र संख्या-242 झाझा)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला के लक्ष्मीपुर प्रखंड अन्तर्गत राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, लक्ष्मीपुर 22 वर्षों से अपने भवन के अभाव में बालिका मध्य विद्यालय, लक्ष्मीपुर में संचालित है, जिससे उस क्षेत्र के बच्चियों को पठन-पाठन में दिक्कत होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, लक्ष्मीपुर के भवन का निर्माण करवाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2026. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत प्रखंड कल्याणपुर के सिसवा बसंत हाई स्कूल के प्रांगण में चहारदीवारी नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को असुविधा होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्षित हाई स्कूल में चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गिरावट दूर करना

*2027. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018-19 में माध्यमिक शिक्षा के दौरान सर्वाधिक पढ़ाई छोड़ने में राज्य की बालिकाओं का देश में दूसरा स्थान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वर्ष में माध्यमिक शिक्षा के दौरान 32.1 प्रतिशत बालिकाओं ने पढ़ाई छोड़ दी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाई छोड़ने का दर 18.39 प्रतिशत थी, जो राष्ट्रीय औसत से राज्य में काफी अधिक है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार माध्यमिक शिक्षा के दौरान बालिकाओं की शिक्षा में आई गिरावट को दूर करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बस का परिचालन कराना

*2028. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपेंटी (अ0जा0))--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव प्रखंड में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी शैक्षणिक रूप में विश्व प्रसिद्ध है साथ ही निकट में बटेश्वरस्थान है, जहाँ विश्वभर के पर्यटक आते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि भागलपुर से कहलगाँव भाया विक्रमशिला, बटेश्वरस्थान होते हुये पीरपेंटी के मीर्जाचौकी तक बस का परिचालन नहीं होने के कारण पर्यटकों एवं स्थानीय जनता को आवागमन में असुविधा होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर सरकारी बस का परिचालन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आयु सीमा में छूट देना

*2029. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केंसरिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16 जुलाई, 2007 द्वारा विहार सरकार के अन्तर्गत कार्यस्थल सरकारी सेवकों को अन्य सरकारी नौकरियों की परीक्षा में सम्मिलित होने पर पांच वर्ष की छूट आयु सीमा में दी जाती है, परंतु नियोजित शिक्षकों को यह छूट नहीं दी जा रही है, जिसके कारण बहुत सी परीक्षाओं के लिये नियोजित शिक्षक वैचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों को भी आयु सीमा में छूट देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2030. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियांगंज)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में स्टेडियम का निर्माण कराने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2010 में निर्णय लिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नरकटियांगंज प्रखंड मुख्यालय में अबतक स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया गया है, जिसके कारण उक्त क्षेत्र के युवाओं को खेल-कूद के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका नहीं मिल पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*2031. डॉ रामानन्द यादव (क्षेत्र संख्या-185 फतुहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फतुहा विधान सभा क्षेत्र में पटना सदर प्रखंड के पंचायत सबलपुर के ग्राम-फतेहजंगपुर में प्राथमिक विद्यालय, फतेहजंगपुर का भवन सढ़क के नीचे हो जाने के कारण बरसात के दिनों में भवन 5 फीट तक पानी में डूब जाता है, जिसके कारण महीनों तक पठन-पाठन का कार्य नहीं होता है, जिससे छात्र-छात्राओं को परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का नया भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

*2032. श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र संख्या-113 एकमा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत एकमा एवं लहलादपुर प्रखण्ड के एकमा उच्चतर माठ विठो एकमा अतरसन उच्चतर माठ विठो, अतरसन सहित सभी विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव में शिक्षण कार्य बाधित है, दर्जनों उच्च विद्यालयों को वर्ष 2008-09 एवं 2015-16 में +2 का दर्जा मिल गया है, परन्तु अतरसन उच्चतर माठ विठो, अतरसन सहित सभी विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव में पढ़ाई अभीतक शुरू नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित विद्यालयों में +2 पढ़ाई शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2033. श्री मिश्री लाल यादव (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार का नीतिगत फैसला है कि प्रत्येक प्रखण्ड में स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा, परंतु दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखण्ड में स्टेडियम का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्ड में स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय स्थापित करना

*2034. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (आ० ज० जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत दुर्गापुर पंचायत के छविलाल टोला की आबादी 1000 है एवं विद्यालय के नाम से जमीन उपलब्ध रहने के बाद भी वहाँ से 1 किमी दूर प्राथमिक विद्यालय, छविलाल दियारा में स्थित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक उक्त टोले में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की नियुक्ति करना

*2035. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बापू मध्य विद्यालय, मानसी एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बछौता में शिक्षकों के कमी के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमोदन कराना

*2036. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के ज्ञापांक-एमयू-01/2020-2188/राय०स०(1), दिनांक 29 सितम्बर, 2020 को अमान्य कर मगध विश्वविद्यालय ज्ञापांक-जी iiiए/300/21, दिनांक 30 जनवरी, 2021 द्वारा बिहार विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम के विरुद्ध मानोनीत सदस्यों की कमिटी बनाई गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि डॉ० विजय कुमार सिंह महाविद्यालय, रफीगंज के द्वारा गठित शासी निकाय के सचिव के स्थान पर मगध विश्वविद्यालय द्वारा उक्त वर्णित कमिटी के प्रतिनिधि एवं कार्यकारी प्रधानाचार्य के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खाता का संचालन करने का आदेश दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मगध विश्वविद्यालय खंड-2 के आदेश को निरस्त कर उक्त महाविद्यालय द्वारा प्रेषित शासी निकाय के निर्वाचित अध्यक्ष एवं सचिव का शीघ्र अनुमोदन करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान

*2037. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0 ज0 ज0))--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत मनिहारी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 15 शिम्बूडीह की मुनी मोसमात, पति स्व0 लखन पासवान, सोना मोसमात, पति स्व0 राजाराम पासवान, प्रतिभा देवी, प्रति नन्द किशोर पासवान को वृद्धावस्था पेंशन की राशि नहीं मिली है, यदि हाँ, तो सरकार उन्हें पेंशन दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति कराना

*2038. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटम्बा (अ0 ज0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि 30 नवम्बर, 2020 के बाद से उप-शिक्षा निदेशालय, मगध प्रमंडल एवं अपीलीय पदाधिकारी, मगध प्रमंडल का पद रिक्त रहने के कारण मगध क्षेत्र के शिक्षकों का अपीलीय कार्य महीनों से बाधित है और इनके आवेदन की सुनवाई भी नहीं की जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उप-शिक्षा निदेशक, मगध प्रमंडल एवं अपीलीय पदाधिकारी, मगध प्रमंडल, के पद पर नियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पी0 जी0 की पढ़ाई शुरू कराना

*2039. श्रीमती अरुणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज) --क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के वारिसलीगंज स्थित एस0 एन0 सिन्हा महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट (पी0 जी0) की पढ़ाई नहीं होने के कारण छात्र-छात्रा उच्च शिक्षा से वर्चित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त महाविद्यालय में कबतक पी0 जी0 की पढ़ाई शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति करना

*2040. श्री अखलरुल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर) --क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विभाग ने राज्य में अवस्थित माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराया गया परंतु अबतक उक्त विद्यालयों में आवश्यकता अनुरूप कम्प्यूटर शिक्षकों की बहाली नहीं की गई है जिसके कारण छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य में अवस्थित उक्त विद्यालयों में आवश्यकता अनुरूप कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2041. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 ब्रिक्रम)---क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना ज़िलान्तर्गत नौबतपुर प्रखण्ड स्थित बड़ी टॅगरैल एंचायत के आँगनबाड़ी केन्द्र सं०-49 एवं 50 की सहायिका लालमणि देवी एवं शकुंतला देवी की मृत्यु 4 वर्ष पूर्व हो जाने के पश्चात उक्त दोनों सहायिका को सरकार द्वारा प्रदान किये जाने संबंधी अनुग्रह अनुदान की संचिका विगत 3 वर्षों से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पटना के स्तर पर लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित उक्त सहायिकाओं के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान करने के साथ ही विलंब के लिये दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभ्यर्थियों की नियुक्ति बुनियादी विद्यालयों में करना

*2042. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 391 बुनियादी विद्यालयों में शिक्षकों का अधिकांश पद रिक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011 शिक्षक पात्रता परीक्षा (बी० टी० ई० टी०) के मेरिट आधार पर लगभग 3000 लोगों ने प्रशिक्षण लिया था, जिसमें लगभग 1000 की उम्र समाप्त हो गयी है, अनियोजित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान डाइट/पी० टी० ई० सी० से शिक्षा विभाग के ज्ञापांक सं० 463, दिनांक 12 सितम्बर, 2013 एवं ज्ञापांक सं० 224, दिनांक 22 अप्रैल, 2014 के आलोक में प्रशिक्षण करवाया गया था, जिसका नियोजन अबतक नहीं हो सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति बुनियादी विद्यालयों में करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का लाभ देना

*2043. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोध गया (अ० जा०))---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शाक्यमुनि कॉलेज, बोध गया को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोग, नई दिल्ली के द्वारा बौद्ध अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा पत्रांक 2014/2008/29994, दिनांक 2 सितम्बर, 2008 द्वारा प्राप्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2019 को पारित आदेश में 60 दिनों के अन्दर उक्त कॉलेज को अल्पसंख्यक बौद्ध संस्था का दर्जा देते हुये सभी नियमानुकूल सुविधाएँ देने का आदेश दिया था, परंतु आदेश का अनुपालन विभाग द्वारा अबतक नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कॉलेज को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार कराना

*2044. श्रीमती अरुणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 बारिसलीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के पकरीवराबाँ प्रखंड अन्तर्गत इंटर विद्यालय, डुमराबाँ का भवन जीर्ण-शीर्ण होने के कारण छात्रों को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*2045. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार-सोनेली-सालमारी मार्ग पर सरकारी बसों का परिचालन नहीं होने के कारण कदवा तथा डंडखोरा प्रखंड के नागरिकों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मार्ग पर बसों के परिचालन का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित कराना

*2046. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव प्रखंड के उच्च विद्यालय, महेशामुण्डा को 10+2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने हेतु सभी अहता रखता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों को 10+2 उच्च विद्यालयों में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*2047. श्री अखतरुल इमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत उच्च विद्यालय, अमौर एवं रौटा में बालिका छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2016 में दी गयी थी और बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम द्वारा निर्माण कार्य अधीतक पूरा नहीं किया गया है, जिससे बालिकाओं को छात्रावास की सुविधा नहीं मिल रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*2048. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपील जिलान्तर्गत प्रखंड किशनपुर के पंचायत मलाड़ के थरिया पुनर्वास प्राथमिक विद्यालय को अपना भूमि रहते हुये भी भवनहीन है एवं छ: शिक्षकों के सहारे खुले आसमान के नीचे पठन-पाठन का कार्य किया जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भवनहीन विद्यालय की भूमि पर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी निर्माण एवं गड्ढे में मिट्टी भराई कराना

*2049. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौंढी (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत धनरुद्ध में श्रीराम हरि उच्च विद्यालय +2, पधेड़ा में उपलब्ध 5 एकड़ 46 डॉ० जमीन का स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण एवं जल-जमाव की स्थिति के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन एवं खेल-कूद में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर चहारदीवारी निर्माण एवं गड्ढे में मिट्टी भराई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ऑटो या नगर बस सेवा का परिचालन

*2050. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनवर्षा (अ०जा०))--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना बाईपास से सटे गंगा पतंजली स्टोर स्थित है तथा बाईपास के सड़क पार बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी एवं विजय नगर मुहल्ला अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गंगा पतंजली स्टोर से आगे कुमार और्थो हॉस्पिटल, एन०बी०सी०सी० टावर से आगे नाला पर बने पुल से होते हुये गाँधी नगर, कांटी फैक्ट्र रोड, जो मेन रोड कंकड़बाग मुख्य सड़क से जोड़ती है, तक ऑटो या नगर बस सेवा नहीं रहने के कारण आवागमन में आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर ऑटो या नगर बस सेवा का परिचालन कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान देना

*2051. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि ए०पी० शर्मा भोज+2 उच्च विद्यालय, नवा भोजपुर, बक्सर को 2012 से वित्तीय अनुदान के साथ इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने हेतु विहार विद्यालय परीक्षा समिति से अनुमति प्राप्त है, जिसके बावजूद अभीतक इस उच्च विद्यालय को इंटरमीडिएट की पढ़ाई हेतु कोई अनुदान नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को इंटरमीडिएट की पढ़ाई हेतु अनुदान देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना

*2052. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के अधीन 1951 में स्थापित मिथिला स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान, दरभंगा में शिक्षकों की कमी, आधारभूत संरचना एवं मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण असुविधा हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस संस्थान से संस्कृत में परा-स्नातक, पी०एचडी०, डी-लिट की

उपाधि, उच्चस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शोध के साथ संस्कृत पांडुलिपि का सबसे बड़ा संग्रह केन्द्र है, जो भारत में अन्यत्र कहीं नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त शोध संस्थान को मूलभूत सुविधा मुहैया कराकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त करना

*2053. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजापाकर (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के अन्तर्गत राठौड़म० विद्यालय, किचनी लखनपुर, देसरी वैशाली, जिसका खाता सं० 221, खेसरा 1014, रकवा-४ डी० एवं खाता सं० 221, खेसरा-1015, रकवा-३२ डी० जो कि श्री नागदेव राय, पिला स्व० भगत राय द्वारा स्कूल का जमीन अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके कारण उस स्कूल का नया रूप एवं चहारदीवारी नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रदूषण नियंत्रित करना

*2054. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत दशकों पुरानी गाड़ियों का परिचालन के कारण भागलपुर शहर का वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुँचकर जानलेवा हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार भागलपुर शहर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने हेतु कौन-सा कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । 1. भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में परिचालित वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिये वाहनों की नियमित जाँच की जाती है।

2. भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में वाहनों के प्रदूषण स्तर की जाँच हेतु 14 (चौदह) वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्र खोले गये हैं।

3. भागलपुर जिलान्तर्गत वर्ष 2020-21 में प्रदूषण जाँच केन्द्रों द्वारा अवधारक 89839 वाहनों के प्रदूषण उत्सर्जन स्तर की जाँच कर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं।

4. मोटरवाहन अधिनियम, 2019 की धारा-190 (2) के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में विना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र के परिचालित वाहनों से कुल 5 लाख रुपया की राशि वसूल की गयी है।

5. इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा परिवेशीय वायु गुणवत्ता का स्तर बनाये रखने के उद्देश्य से समय-समय पर विशेष अधियान चलाये जाते हैं ।

कमरों की मरम्मती

*2055. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगुसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगुसराय जिलान्तर्गत चाँदपुरा पंचायत अवस्थित जनता उच्च विद्यालय, चाँदपुरा में पूर्व निर्मित कमरों की स्थिति जीर्ण-शीर्ण हो जाने के कारण नार्मांकित छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को पठन-पाठन में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित विद्यालय के जीर्ण-शीर्ण कमरों की मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतनवृद्धि का लाभ देना

*2056. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महाओ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य भर में नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रत्येक दो वर्षों की सेवा पर ग्रेड पे एवं तीन वर्षों पर एक वेतनवृद्धि की स्वीकृति देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रथम चरण 2006-07 एवं द्वितीय चरण 2009-10 में नियुक्त नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को नियमतः वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिये जाने के कारण अल्पवेतन भोगी शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को आर्थिक क्षति हो रही है ;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014-15 में नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रतिवर्ष एक वेतनवृद्धि का भुगतान किया जा रहा है, जिससे पूर्व में नियुक्त शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों उपेक्षित महसूस करते हैं ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को नियमानुसार वेतनवृद्धि का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*2057. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (आजौ))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-लेदीदोहर, रामपुर, ढिबर के नवसृजित विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नवसृजित विद्यालयों के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ऋण देना

*2058. श्री आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विहार विकास मिशन, विहार सरकार की योजना आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत विहार के छात्रों को अध्यापन हेतु अधिकतम चार लाख की राशि ऋण देती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018 तक विहार सरकार उक्त योजनान्तर्गत राजस्थान राज्य के मेवाड़ यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत छात्र को ऋण दिया जाता था, परंतु वर्ष 2018 के बाद उक्त यूनिवर्सिटी के छात्रों को ऋण नहीं दे रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को उक्त योजना अन्तर्गत ऋण देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मदरसा का निर्माण

*2059. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के घोसी प्रखण्ड के साहो विग्हा पंचायत के अल्पसंख्यक टोला में मदरसा नहीं है, जिसके कारण उर्दू पढ़ने वाले बच्चों का पठन-पाठन बाधित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित स्थान पर मदरसा का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोत्साहन राशि का भुगतान

*2060. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला स्थित किसान इंटर कॉलेज, कोरमा, गया (रैल कोड 21039) से वर्ष 2020 में इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को सरकारी प्रावधान के आलोक में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कॉलेज के प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सेवाकाल 60 वर्ष करना

*2061. श्री सुधांशु शेखर (क्षेत्र संख्या-31 हरलाखी)—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में +2 अतिथिशिक्षक की बहाली ज्ञापांक 09/विविध0प0स0-09/2015-15, दिनांक 25 जनवरी, 2018 बिहार सरकार शिक्षा विभाग के संकल्प के अधीन हुआ है, जिसका प्रति कार्य दिवस 1,000 रुपया पारिश्रमिक की दर से अधिकतम 25,000 रुपया पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त शिक्षकों के सहयोग से निर्धारित विषयों के अध्यापन कार्य समस्य पूरा होने से इंटरमीडिएट का वार्षिक परीक्षाफल उत्कृष्ट रहा, परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा इन्हें पारिश्रमिक कम दिया जाता है, जिससे अतिथिशिक्षकों में असंतोष है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त शिक्षकों को निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान एवं सेवाकाल 60 वर्ष कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुनः बहाल करना

*2062. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के इस्लामपुर प्रखण्ड के महमूदा एवं आत्मराय इस्लामपुर में उर्दू विद्यालय की दो यूनिट वर्ष 1995-2000 ई से स्थापित को वित्तीय वर्ष 2010 से प्राथमिक विद्यालयों के साथ जोड़कर उक्त उर्दू विद्यालयों की वर्तमान में दोनों यूनिट समाप्त कर दिया गया है, जिससे उर्दू विद्यार्थियों का पठन-पाठन बंद है, यदि हाँ, तो सरकार इस्लामपुर प्रखण्ड में उक्त दोनों यूनिट को पुनः बहाल कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*2063. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)—क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि अप्रैल, 2020 से जिला निबंधन कार्यालय, समस्तीपुर से नन-इकम्ब्रेस सर्टिफिकेट, अधिवक्ता सर्वे रसीद एवं दस्तावेजों की सर्टिफाइड कॉपी निकालने में दो से तीन महीने लग जाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्व से चल रहे हस्तालिखित प्रक्रिया को बंद कर सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया में सर्वर डाउन की समस्या होन से दस्तावेज प्राप्त करने में विलम्ब हो रही है, जिसके कारण आम आदमी को बैंकों को ऋण लाभ जैसी सुविधा नहीं मिल पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त संबंध में परम्परागत हस्तालिखित प्रक्रिया भी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मिट्टी भराई एवं सौन्दर्यीकरण कराना

*2064. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नगर परिषद् फारबिसगंज में +2 की अकादमी हाई स्कूल, फारबिसगंज का खेल मैदान बड़े-बड़े खेल के मैदान में जल-जमाव एवं कचरे का ढेर होने के कारण उक्त विद्यालय के छात्र-छात्राओं को खेल-कूद हेतु कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं दूषित वातावरण के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित मैदान में मिट्टी भराई एवं सौन्दर्यीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरा एवं हॉल का निर्माण

*2065. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर विधान सभा छोटान्तर्गत राज्य के उच्च विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के अनुपात में कक्षा हेतु कमरे तथा हॉल के नहीं रहने के कारण पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में कमरा एवं हॉल निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भाषायी शिक्षकों की नियुक्ति

*2066. श्री अखलरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों के पठन-पाठन की व्यवस्था मुख्यवस्थित करने हेतु वर्ष 2013 में विभाग द्वारा आयोजित टी० ३० टी० परीक्षा में उद्दू एवं बंगला विषय के शिक्षक अध्यर्थियों के लिए परीक्षा आयोजित किया गया था, जिसका परीक्षाफल का प्रकाशन अंतिम रूप में नहीं किया गया है, जिसके कारण राज्य के विद्यालयों में उद्दू एवं बंगला विषयों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्ण परीक्षाफल प्रकाशित कर भाषायी शिक्षकों की नियुक्ति का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2067. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत डुमराव सदर प्रखण्ड स्थित वार्ड संख्या 20 में महाजनी मध्य विद्यालय के श्रीमती देवंती देवी शिक्षिका द्वारा विद्यालय में पठन-पाठन के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के साथ ही छात्र-छात्राओं से दुर्व्यवहार किये जाने के कारण छात्र-छात्राओं को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के उक्त शिक्षिका के विरुद्ध कार्रवाई का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रशिक्षण हेतु समय सीमा का विस्तार

*2068. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फूलवारी (अ० जाठ))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि आर० ३० टी० ३० एक्ट के अनुसार जो शिक्षक 31 मार्च, 2019 तक किसी भी कारण प्रशिक्षण पूर्ण न कर सके हैं, सरकार ने उन्हें हटाने का निर्देश जारी किया है, जबकि शिक्षकों को समय रहते प्रशिक्षण पूर्ण कराने की जिम्मेवारी सरकार की थी, दूसरी तरफ उक्त आर० ३० टी० ३० एक्ट के अनुसार ही "हर 30 बच्चे पर एक शिक्षक को बहाल करने का भी प्रावधान है" जिसे 31 मार्च, 2015 तक ही पूरा करना था, जो अबतक पूरा नहीं किया जा सका, यदि हाँ, तो क्या सरकार इन शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु समय सीमा का विस्तार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मेडिकल कॉलेज का निर्माण कोईलवर में करना

*2069. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिले के आग में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है वह जमीन बीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय को आवंटित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन के बदले सरकार बीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय को कोईलवर में जमीन उपलब्ध करा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मेडिकल कॉलेज का निर्माण बीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय की जमीन के बजाय कोईलवर में ही कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2070. श्री मोहम्मद इसराईल मंसुरी (क्षेत्र संख्या-95 काँटी)---क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत काँटी एवं मङ्गवन प्रखण्ड मुख्यालय में स्टेडियम निर्माण हेतु सैकड़ों एकड़ सरकारी एवं आम गैर-मजरूलआ जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्ड मुख्यालयों में उपलब्ध भूमि पर कबतक स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लॉबिट मानदेय का भुगतान

*2071. श्री अरुण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खाजीली)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में साक्षर भारत 2012 प्रारम्भ किया गया था, जिसके तहत पंचायत स्तर पर साक्षरता के कार्यों को सम्पादन के लिये लोक शिक्षण केन्द्र खोला गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि लोक शिक्षण केन्द्र पंचायत के साक्षरता के सचिवालय के रूप में दो मानदेय प्राप्त प्रेरक के चयन के उपरान्त दिनांक 1 अक्टूबर, 2016 से ही मानदेय का भुगतान लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रेरकों के लॉबिट मानदेय का भुगतान करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) आर्थिक रूप से स्वीकारात्मक । राज्य सरकार द्वारा राज्य कोष से साक्षर भारत कर्मियों के बकाया मानदेय भुगतान करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया तथा राजकोष से राशि की निकासी कर निदेशालयीय पत्रांक 2496, दिनांक 9 अक्टूबर, 2018 द्वारा जिलों को राशि उपलब्ध कराते हुए यह निदेश दिया गया कि नियमानुसार कर्मियों द्वारा साक्षर भारत के अन्तर्गत क्रय की गई सामग्री, अर्जित सामग्री एवं सभी अभिलेख (चेक बुक, कैशबुक आदि सहित) का प्रभार सौंपने के उपरान्त उनके मानदेय की वास्तविक गणना कर भुगतान किया जाए। साथ ही निदेशालयीय पत्रांक 679, दिनांक 19 मार्च, 2019 द्वारा यह भी निदेश दिया गया है कि जिन कर्मियों के पास किसी प्रकार का प्रभार नहीं है उनसे शपथ-पत्र प्राप्त कर नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की जाए ।

(3) प्रेरकों के लॉबिट मानदेय भुगतान हेतु कुल 59,53,22,100/- (उनसठ करोड़ तिरपन लाख बाईस हजार एक सौ) रुपये की राशि आवंटित की जा चुकी है। 16119 प्रेरकों में से 1974 प्रेरकों को खाता सं0 प्रभार प्रतिवेदन एवं अनापत्ति-पत्र सहित दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त बकाया मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। शेष 14145 प्रेरकों द्वारा दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके द्वारा खाता सं0 प्रभार प्रतिवेदन एवं अनापत्ति-पत्र सहित दावा प्रस्तुत करने उपरान्त अविलम्ब बकाया मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा ।

चयन प्रक्रिया पूर्ण कराना

*2072. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विभागीय मार्गदर्शिका, 2016 के द्वारा सेविका/सहायिका का चयन पोषाहार क्षेत्र के निवासी का ही मैटिंग पंजी तैयार कर चयन प्रक्रिया पूरा किये जाने के प्रावधान के तहत पटना जिलान्तर्गत बिहटा प्रखण्ड स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या-231 का दिनांक 10 फरवरी, 2018 को चयन हेतु आम सभा किये जाने के बावजूद आजतक चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक, उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र के सेविका/सहायिका का चयन प्रक्रिया पूर्ण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्युतीकरण कराना

*2073. श्री विजेन्द्र चौधरी (क्षेत्र संख्या-94 मुजफ्फरपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत जानकी नगर प्रखण्ड के राजकीय अंडेकर आवासीय उच्च विद्यालय, जानकी नगर के विद्यालय एवं छात्रवास में विद्युतीकरण कार्य नहीं होने के कारण छात्रों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का विद्युतीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी निर्माण कराना

*2074. श्री मुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम भौजा मंसुरपुर उत्कमित मध्य विद्यालय हेतु खाता संख्या 200, खेसरा संख्या-793 व 794 रकबा से संबंधित कुल 24 ढी० जमीन है एवं उक्त विद्यालय की चहारदीवारी नहीं रहने के कारण ग्रामीणों द्वारा मवेशियों को बांधकर अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त जमीन के खातों की जाँच कराकर उसे अतिक्रमण मुक्त कर विद्यालय की चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि की वसूली एवं स्थानान्तरण

*2075. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ मुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के गाँधी इन्टर विद्यालय, जहानाबाद के प्रधानाध्यापिका पर विद्यालय की राशि के गबन का गम्भीर आरोप सिद्ध हो जाने के बाद भी प्रधानाध्यापिका आजतक अपने पद पर बनी हुई हैं और छात्र-छात्राओं से अवैध राशि की वसूली कर सम्पत्ति अर्जित कर ली हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापिका से गबन की राशि की वसूली एवं स्थानान्तरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण कराना

*2076. श्री रणविजय साह (क्षेत्र संख्या-135 मोरबा)---क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अधीन प्रत्येक प्रखंड में एक स्टेडियम के निर्माण की योजना है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम नहीं है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*2077. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत गोराडीह प्रखंड के सोनूडीह सतजोड़ी पंचायत के गंगटी ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के 300 बच्चों को एक कमरे में पठन-पाठन के लिये निर्भर रहने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्राथमिक विद्यालय में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय खोलना

*2078. श्री गम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत बगहा विधान सभा अत्यधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि बगहा अनुमंडल में एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं रहने के कारण गरीब दलित वर्ग के छात्र-छात्रायें को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये 100 कि० मी० दूर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, जिससे कठिनाई होती है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बगहा में सरकारी महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रोजगार उपलब्ध कराना

*2079. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)---क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के धारा 21 (1) के तहत निजी विद्यालयों, नर्सिंग होम, शॉपिंग कार्प्सलेक्स, मॉल, डेयरी एवं अन्य औद्योगिक इकाइयों में बेरोजगार दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना है, इस आशय का उल्लेख राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन), बिहार, पटना के पत्रांक 1318, दिनांक 4 दिसम्बर, 2019 में किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक निजी स्थापना में बेरोजगार दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*2080. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)---स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक । अक्टूबर, 2019 के अंक में प्रकाशित शोधक "सूचे में 5200 स्कूल भवनहीन एक साल में 300 स्कूल मर्ज" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के लगभग 5200 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्कूलों के भवन निर्माण के लिये सरकार द्वारा दो वर्ष पूर्व राशि आवंटित कर दी गयी है, भवन के अभाव में बच्चों को समुचित शिक्षा नहीं मिल रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य में 5000 से अधिक विद्यालयों के भवनहीन होने का क्या औचित्य है ?

चहारदीवारी निर्माण एवं बैंच-डेस्क उपलब्ध कराना

*2081. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला अन्तर्गत बक्सर प्रखण्ड के नदाँव उत्क्रमित मध्य विद्यालय एवं छोटका नुआँव मध्य विद्यालय में चहारदीवारी नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला अन्तर्गत उक्त विद्यालयों में बच्चों को बैठने के लिये बैंच-डेस्क भी नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संबंधित विद्यालयों की चहारदीवारी निर्माण एवं बैंच-डेस्क उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बालू के अवैध उत्खनन पर रोक

*2082. श्री बीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)---क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गदा जिला में ढेढ़ माह से बालू का उत्खनन, विभाग एवं प्रशासन की मिलीभगत से किया जा रहा है, जिससे सरकार को 45 करोड़ से अधिक राजस्व का नुकसान हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुये बालू के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2083. श्री मिश्री लाल यादव (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)---क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के प्रखण्ड घनश्यामपुर में स्टेडियम नहीं है, जिसके कारण युवाओं एवं खेल प्रेमियों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड में स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*2084. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पालीगंज अनुमंडल में छात्रों के उच्च शिक्षा के लिये डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण छात्रों को उच्च शिक्षा के लिये अन्यत्र जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पालीगंज अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम बनाना

*2085. श्री सुनील मणि तिवारी (क्षेत्र संख्या-14 गोविन्दगंज)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत संग्रामपुर प्रखण्ड में एक भी स्टेडियम नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड मुख्यालय स्थित 10+2 विद्यालय के खेल मैदान में स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अधिग्रहण करना

*2086. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 715 पंचायतों में 40 वर्षों से वित्त रहित माध्यमिक विद्यालय संचालित है, जो सभी मानकों एवं अहंताओं को पूरा करते हैं, वहाँ भी मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया जा रहा है जिससे वित्त रहित माध्यमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्त रहित विद्यालय बंद होने से लगभग 9,000 शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी सहित उक्त विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं प्रभावित होंगे, जबकि सभी माध्यमिक विद्यालय सरकारी प्रस्त्रीकृति से सरकारी भूमि पर संचालित हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्व से संचालित 715 वित्त रहित माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों सहित अधिग्रहण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*2087. श्री आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर प्रभारी पदाधिकारी रहने के कारण शिक्षा विभागीय योजनाओं के संचालन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का पदस्थापन शीघ्र कर दिया जायेगा।

विद्यालय शुरू करना

*2088. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 के बटी)--क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के केवटी प्रखण्ड के अन्तर्गत लालगंज पंचायत के बाढ़ पोखर के समीप स्थित अतिपिछड़ा बालिका आवासीय उच्च विद्यालय का भवन पिछले 10 वर्षों से बनकर तैयार है, परन्तु अभीतक प्रस्तावित विद्यालय शुरू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

निबंधन का प्रावधान करना

*2089. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौडाबाँराम)--क्या मंत्री, मध्य नियेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल अन्तर्गत घनश्यामपुर प्रखण्ड का अनुमंडलस्तरीय सभी कार्य बिरौल में होता है परंतु घनश्यामपुर प्रखण्ड की जमीन का क्रय-विक्रय का निबंधन का कार्य अबर निबंधन कार्यालय, बहेड़ा में होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक घनश्यामपुर प्रखण्ड की जमीन की क्रय-विक्रय का निबंधन का प्रावधान अबर निबंधन कार्यालय, बिरौल से ही कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रधारी मंत्री--स्वीकारात्मक। क्षेत्राधिकार परिवर्तन से राजस्व संग्रहण पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कर अगले वित्तीय वर्ष से घनश्यामपुर प्रखण्ड की जमीन की क्रय-विक्रय का निबंधन का प्रावधान अबर निबंधन कार्यालय, बिरौल से ही कराने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

महिला महाविद्यालय खोलना

*2090. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनियां (अ०ज०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियां विधान सभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय नहीं रहने के कारण उक्त क्षेत्र की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के मोहनियां में महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार करना

*2091. श्री अवधेश सिंह (क्षेत्र संख्या-123 हाजीपुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला अंतर्गत मुख्यायल हाजीपुर में अवस्थित अक्षयवट राय स्टेडियम में बारिश के दिनों में जल-जमाव हो जाता है एवं उक्त स्टेडियम में अवस्थित वैशाली कला मंच भी जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्टेडियम में जल निकासी की व्यवस्था एवं वैशाली कला मंच की जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

*2092. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत गोरेयाकोठी प्रखण्ड के ग्राम-गोरेयाकोठी में सेन्ट्रल एसेम्बली के पूर्व सदस्य स्व(0) नारायण प्रसाद सिंह के द्वारा बसंत पंचमी 1916 को नारायण कर्मयोगी उच्च विद्यालय की स्थापना की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय का भवन जर्जर हो गया है, जिसके कारण छत से इंट गिर रहे हैं, कई छात्र-छात्राएं घायल हो चुकी हैं, वर्तमान में इस विद्यालय को 10+2 में अपग्रेड किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन का जीर्णोदार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय स्थापित करना

*2093. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखण्ड खिजरसराय के ग्राम-बाना तिवारी टोला में प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण इस क्षेत्र के बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फलस्वरूप बच्चे पढ़ाई से बंचित हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

तकनीकी महाविद्यालय खोलना

*2094. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के केवटी विधान सभा में एक भी तकनीकी महाविद्यालय नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त क्षेत्र में तकनीकी महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि--

(i) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक अभियंत्रण महाविद्यालय एवं एक पोलिटेक्निक संस्थान स्थापित किये जाने का निर्णय है ।

(ii) दरभंगा जिलान्तर्गत एक दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा तथा एक राजकीय पोलिटेक्निक संस्थान, दरभंगा पूर्व से सरकारी प्रक्षेत्र में स्थापित एवं कार्यरत है ।

(iii) अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पोलिटेक्निक संस्थानों में छात्र-छात्राओं का प्रवेश राज्य स्तर पर आयोजित सामान्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से मेधा-सह-विकल्प के आधार पर लिया जाता है न कि क्षेत्रीय आधार पर ।

अतः दरभंगा जिलान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेक्निक संस्थान पूर्व से कार्यरत है एवं अन्य तकनीकी महाविद्यालय स्थापित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है ।

स्टेडियम निर्माण करना

*2095. श्री सुरेन्द्र राम (क्षेत्र संख्या-119 गरखा (अ० जा०))--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी प्रखंडों में स्टेडियम के निर्माण कराने हेतु सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में निर्णय लिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत गरखा विधान सभा क्षेत्र के गरखा एवं छपरा सदर प्रखंड में अबतक स्टेडियम का निर्माण नहीं कराये जाने के कारण उक्त क्षेत्र के युवाओं को खेल-कूद के क्षेत्र में अपने प्रतिभा को निखाराने का मौका नहीं मिल पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण कराने विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय बनाना

*2096. श्री कृमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहापुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक प्रखंड के इण्टर स्कूल में छात्राओं की संख्या 1100 और छात्र की संख्या 800 है, परन्तु छात्र-छात्राओं के अनुपात में शौचालय एवं यूरिनल नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त इण्टर स्कूल में छात्र-छात्राओं के अनुपात में शौचालय बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्यटक स्थल विकसित करना

*2097. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले के बैकुण्ठपुर प्रखंड अंतर्गत सुप्रसिद्ध धनेश्वर नाथ (सिंहासनी) मंदिर की पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर, संरक्षण पदाधिकारी एवं तकनीकी सहायक की टीम द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय गुप्तकालीन घड़े, ताम्रपत्र, गुप्तकालीन ईंट एवं प्राचीन भगवान ब्रह्मा की मूर्ति तथा शिवलिंग प्राप्त हुई थी, यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटक आते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मंदिर को पर्यटक स्थल में विकसित करने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आशिक रूप से स्वीकारात्मक है। गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुण्ठपुर प्रखंड अवस्थित धनेश्वर नाथ (सिंहासनी) मंदिर का निरीक्षण पुरातत्व निदेशालय के तकनीकी दल द्वारा किया गया था। निरीक्षण क्रम में प्रश्नावली में वर्णित अवशेषों का तकनीकी दल द्वारा अवलोकन किया गया था, जो कि ग्रामीणों के पास व्यक्तिगत संग्रह में था। ब्रह्मा की प्रतिमा उक्त मंदिर में स्थापित है जबकि उक्त मंदिर आधुनिक कालीन निर्मित है। वर्तमान में यह मंदिर "बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976" के सुसंगत प्रावधानों के तहत सुरक्षित घोषित पुरास्थल/स्मारक नहीं है।

स्थानान्तरण करना

*2098. श्री मुकेश कृमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, मद्य निवेद, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत अवर निबंधक कार्यालय, जयनगर में एक ही स्थान पर विगत 05 वर्षों से सहायकों, लिपिकों एवं कम्प्यूटर कर्मी पदस्थापित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि एक स्थान पर तीन वर्षों तक पदस्थापन का प्रावधान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कर्मियों का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का पुनर्निर्माण कराना

*2099. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लदनियाँ प्रखंड के पदमा उच्च विद्यालय के परिसर में सीमा विकास योजना के तहत वर्ष 2017 में कम्प्यूटर एवं विज्ञान प्रयोगशाला भवन का निर्माण अंके 20,26,000 रुपये की लागत से कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मात्र 02 वर्ष के बाद ही उक्त भवन के जर्जर हो जाने से छात्र-छात्राएँ उक्त भवन में जाने से कठिनता हैं तथा हमेशा दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भवन का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई

*2100. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का प्रभार वरीय शिक्षक को ही देना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ढाका, घोड़ासहन एवं पूर्वी चंपारण सहित राज्यस्तर पर उक्त विषय से संबंधित 1273 मामले लंबित हैं, जिसमें सरकार के निदेश के बाद भी विद्यालयों में वरीय शिक्षक के रहते हुये कनीय शिक्षक को प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया गया है, जिसके फलस्वरूप विद्यालयों का पठन-पाठन बाधित होते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक विभागीय निदेश के विपरीत उक्त जिलों सहित गज्य के प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक विद्यालयों में वरीय शिक्षक की जगह कनीय शिक्षक को प्रधानाध्यापक बनाकर कार्य लेने वित्तीय प्रभार देने के मामले में दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं कनीय शिक्षक की जगह वरीय शिक्षक को प्रभार दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*2101. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुगेर) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला स्कूल मुगेर में बहुत बड़ा खेल का मैदान है, जहाँ छात्रों के लिये खेल-कूद एवं अन्य शारीरिक क्रिया-कलाप न होकर दूसरे कार्य (थोक सब्जी विक्रेता का आढ़त) किये जा रहे हैं, जो शैक्षणिक बातावरण के प्रतिकूल है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जिला स्कूल, मुगेर के खेल मैदान को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरा निर्माण कराना

*2102. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड दरियापुर के उच्च विद्यालय, दरिहारा (10+2) में विगत तीन साल पहले आग लगाने के कारण विद्यालय का भवन जल गया था, जिस कारण छात्रों को पठन-पाठन में दिक्कत होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के कमरा का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरक्षण देना

'क'-*2103. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि छाँटों कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर किशनगंज जिला के क्षेत्रीय छात्र एवं छात्राओं को नियुक्ति एवं नामांकन में आरक्षण नहीं दिया जाता है जबकि उक्त जिला शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कृषि महाविद्यालय में किशनगंज जिला के क्षेत्रीय छात्र-छात्राओं को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति एवं नामांकन में 10 प्रतिशत का आरक्षण देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अवैध बालू खनन रोकना एवं दोषियों पर कार्रवाई

***2104.** श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरधाटी)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के शेरधाटी विधान सभा अंतर्गत शेरधाटी प्रखण्ड और आमस प्रखण्ड में मोरहर नदी एवं बूढ़ी नदी से तथा डोभी प्रखण्ड में लीलांजना नदी से बालू का अवैध तरीके से उत्खनन कर कालाबाजारी की जा रही है, स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों का ध्यान नहीं होने के कारण लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार अवैध बालू खनन को रोकने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन एवं शौचालय का निर्माण

***2105.** श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फाराबिसगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नगर परिषद् फाराबिसगंज के वार्ड संख्या 17 के कन्या मध्य विद्यालय, गोडिहारे चौक का भवन पुराना एवं जर्जर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में शौचालय की संख्या भी छात्राओं की संख्या के अनुपात में कम है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में भवन एवं शौचालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी निर्माण कराना

***2106.** श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखण्ड के सिरसिया हनुमानगंज पंचायत के श्री दरवारी राय उच्च विद्यालय महाथावा बाजार के प्रांगण में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण खुले मैदान में मवेशियों के प्रवेश से छात्रों के पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस सेवा प्रारंभ करना

*2107. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)---क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत गोरेयाकोठी प्रखण्ड के गोरेयाकोठी बाजार से छपरा एवं पटना के लिये बस सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण आम यात्रियों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार गोरेयाकोठी बाजार से उक्त स्थानों के लिये राज्य परिवहन निगम की बस सेवा प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षक की व्यवस्था

*2108. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 इमरांव)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिले के नावानगर प्रखण्ड के खरवानिया मध्य विद्यालय में लगभग 250 छात्र-छात्राओं का नामांकन है, जिसमें मात्र दो ही शिक्षक होने से पठन-पाठन का कार्य बाधित रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में शिक्षक की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नया उच्च विद्यालय खोलना

*2109. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि आजादी के बाद से लेकर अभीतक शेखपुरा जिलान्तर्गत नगर परिषद् में नया उच्च विद्यालय स्थापित नहीं किया गया है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा नगर परिषद् में उच्च विद्यालय की कमी के कारण हजारों बच्चे उच्च शिक्षा से वर्चित रह जा रहे हैं ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेखपुरा जिलान्तर्गत शेखपुरा नगर परिषद् में नया उच्च विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

क्षेत्रीय विधायक को पदेनाथ्यक बनाना

*2110. श्री सुनील मणि तिवारी (क्षेत्र संख्या-14 गोविन्दगंज)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सभी उच्च विद्यालयों के कमिटी का पदेनाथ्यक क्षेत्रीय विधायक होते हैं, परन्तु यह प्रावधान संस्कृत एवं मदरसा उच्च विद्यालयों में नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार संस्कृत एवं मदरसा विद्यालयों में क्षेत्रीय विधायक को पदेनाथ्यक बनाने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आँगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण

*2111. श्री राम विश्वन मिंह (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर)---क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत पीरो प्रखण्ड के ग्राम-पंचायत कोधुआ में ग्राम-पीटाठ एवं धनपुर में आँगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण लिये 13वीं वित्त आयोग (2012-2013) द्वारा निर्माण की राशि उपलब्ध करायी गयी थी, परन्तु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कनीय अधियंता एवं संवेदक के कारण उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र को आधा-अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुये वर्णित आँगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि उपलब्ध कराना

*2112. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ० जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये स्टूडेंट क्रोडिट कार्ड का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत 1+2 वर्षों से स्टूडेंट क्रोडिट कार्ड के माध्यम से गरीब छात्र-छात्राओं को नामांकन समय पर नहीं हो पाता है या जिनके नामांकन पूर्व में हो गये हैं उनके नामांकन रद भी होने की आशंका बनी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्टूडेंट क्रोडिट कार्डधारक छात्र-छात्राओं को राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों का वेतन भुगतान

*2113. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अंतर्गत महाराजा लौ कॉलेज, आरा को सरकार द्वारा 1976 में अंगीभूत लौ कॉलेज घोषित कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उच्च न्यायालय, पटना के CWUJC संख्या 9385/2013, दिनांक 17 सितम्बर, 2019 को पारित आदेश से शिक्षकों का वेतन भुगतान 2020 में कर दी गई है, परंतु कुलपाति द्वारा बिना राज्य सरकार के इजाजत के ही जनवरी, 2021 से इसे बंद कर दिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षकों का वेतन भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आश्रम का निर्माण कराना

*2114. श्री मेवालाल चौधरी (क्षेत्र संख्या-164 तारापुर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत संग्रामपुर प्रखंड में ददरीजाला पंचायत के ददरी मौजा में बालक/बालिका, विधवा/महिला, वृद्धजनों/भिक्षुकों के लिये आश्रम हेतु गृह निर्माण का प्रस्ताव वर्ष 2019 में जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग को भेजा गया, किंतु अभीतक कार्रवाई नहीं शुरू हो पाई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल पर आश्रम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आदर्श विद्यालयों में परिवर्तित करना

*2115. श्री रणविजय साह (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी विद्यालयों को बेहतर शिक्षा प्रणाली, बेहतर प्रवंधन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य के सभी महाविद्यालयों/विद्यालयों में आवश्यक अत्याधुनिक सुविधा के निमित्त आदर्श विद्यालयों की परिकल्पना की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी महाविद्यालय/विद्यालयों में अत्याधुनिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तत्काल उपलब्ध संसाधन से प्रतिवर्ष प्रत्येक प्रखंडों में एक-एक पुरुष एवं महिला महाविद्यालयों तथा उच्चतर/उच्च विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों में परिवर्तित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2116. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढ़ी(अ० जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत धनरुआ प्रखण्ड में खलीलु रहमान उच्च विद्यालय +2 नेतौल कादिरगंज के 6 एकड़ 69 ढी० जमीन पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन एवं खेल-कूद करने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करते हुये चहारदीवारी का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुमोदन करना

*2117. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मगध विश्वविद्यालय के पत्रांक जी० iii ४०/ 2019, दिनांक 9 मई, 2019 के निर्देश पर डॉ० विजय कुमार महाविद्यालय, रफीगंज के शासी निकाय की बैठक दिनांक 12 जनवरी, 2020 को आहूत कर शिक्षाविद् सदस्य का सवांचन (चयन) कर पत्रांक 02/2020, दिनांक 13 जनवरी, 2020 के द्वारा मगध विश्वविद्यालय को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसका अनुमोदन अभीतक नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त महाविद्यालय द्वारा प्रेषित निर्वाचित कमिटी के प्रस्ताव का अनुमोदन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सी० ढी० पी० ओ० का पदस्थापन

*2118. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखण्ड कोटवा में प्रखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सी० ढी० पी० ओ०) का पद रिक्त है, जिस कारण बाल विकास परियोजना से संबंधित कार्यों का संसमय निष्पादन नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित प्रखण्ड में सी० ढी० पी० ओ० का पदस्थापन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक हैं। वर्तमान में प्रखण्ड कोटवा में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद रिक्त है। श्रीमती संध्या कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मोतिहारी ग्रामीण, पूर्वी चम्पारण को कोटवा परियोजना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जिनके द्वारा कोटवा बाल विकास परियोजना से संबंधित कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है।

समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 4341, दिनांक 4 दिसम्बर, 2020 के द्वारा 55 रिक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है। जिसके आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 11693, दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 द्वारा नियुक्ति हेतु अधियाचना विहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत उक्त प्रखण्ड में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की नियमित पदस्थापना की जायेगी।

सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति

*2119. श्री आनन्द शंकर सिंह (क्षेत्र संख्या-223 औरंगाबाद)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में एस० टी० ई० टी० की परीक्षा विज्ञप्ति संख्या पी० आर० 501/2019, दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को सम्पन्न हुई थी और परीक्षाफल दिनांक 11 फरवरी, 2020 को घोषित कर दिया गया है एवं अप्रैल, 2020 तक सभी सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन अभीतक उक्त सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2120. श्री मोहम्मद कामरगन (क्षेत्र संख्या-238 गोविन्दपुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत कौआकोल प्रखंड में स्टेडियम निर्माण नहीं होने से युवाओं एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक उक्त प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2121. मो० आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड में स्थित कालानंद उच्च विद्यालय, गढ़बनेली में चहारदीवारी का निर्माण नहीं होने के कारण सड़क के पश्चिमी तरफ एक एकड़ से अधिक जमीन को स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त एवं चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सेविका का चयन करना

*2122. डॉ० सुनील कुमार (क्षेत्र संख्या-172 बिहारशरीफ)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के वारिसनगर प्रखंड के पंचायत-पुरनाही के ग्राम-चारी, वार्ड नं। 11 में विभागीय पत्रांक 286, दिनांक 27 अगस्त, 2019 के आलोक में आंगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु दिनांक 19 जुलाई, 2019 एवं 27 जुलाई, 2019 को आम सभा का बैठक किया गया, किन्तु आंगनबाड़ी सेविका का चयन आजतक लंबित है, जिससे उक्त पोषक क्षेत्र के लाभुकों को सरकार द्वारा देय सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त क्षेत्र में सेविका का चयन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पालना घर का निर्माण

*2123. सुश्री श्रेयसी सिंह (क्षेत्र संख्या-241 जमूई)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम, 2017, गजट सं० 6/2017 में किसी भी संस्था में 50 महिला कर्मी के रहने पर "पालना घर" बनाने का नियम है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विहार में सरकारी एवं अन्य अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में 50 से अधिक महिलायें कार्यरत हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं की सुविधा के लिये "पालना घर" का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदाइ प्रारम्भ कराना

*2124. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के कुर्था प्रखंड अन्तर्गत मध्य विद्यालय बसंतपुर

को वर्ष 2015 में शिक्षा विभाग, बिहार के ज्ञापांक 11/मु० 01-57/2014 (अंश) 41, दिनांक 9 जनवरी, 2015 द्वारा उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किये जाने के उपरांत भी माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई प्रारंभ नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराकर माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी अनुदान देना

*2125. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखण्ड में स्थित बी० डी० कॉलेज, पूर्णियाँ (पूर्णियाँ विश्वविद्यालय) में 1500 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ;
- (2) क्या यह बात सही है कि सरकार के विभागीय संकल्प संख्या 4846, दिनांक 21 नवम्बर, 2008 से आच्छादित होने के बावजूद इस महाविद्यालय को सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय को सरकारी अनुदान देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय खोलना

*2126. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत ईशुआपुर प्रखण्ड के चकहन पंचायत में ग्राम-शामकौड़िया में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

केन्द्र संचालन करना

*2127. श्री शमीम अहमद (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के नरकटिया विधान सभा क्षेत्र के छोड़ादानों प्रखण्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र कोड संख्या 162 पर सेविका का चयन वर्ष 2018 में किया गया, परंतु विभागीय लापरवाही के कारण अभीतक उक्त केन्द्र का संचालन नहीं होने के फलस्वरूप उक्त केन्द्र के ग्रामीणों को संबंधित लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त केन्द्र का संचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पठन-पाठन प्रारंभ करना

*2128. श्री राजेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-104 हथुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पठना जिलान्तर्गत प्रखण्ड पुनर्पुन के ग्राम-जाहिदपुर में बालिका कस्तुरबा आवासीय विद्यालय का भवन वर्ष 2017 में ही पूर्णरूप से तैयार होने के उपरांत अभीतक पठन-पाठन का कार्य प्रारंभ नहीं होने से भवन जर्जर हो गया है एवं छिढ़की, सीसा, टेबुल, कुर्सी, पंखा, नल, बिजली एवं अन्य उपकरण या तो क्षतिग्रस्त हो गये हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भवन की मरम्मत कराते हुये कबतक पठन-पाठन प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पी०जी० की पढ़ाई शुरू कराना

*2129. श्री सुरेन्द्र मेहता (क्षेत्र संख्या-142 बछवाडा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बरौनी प्रखण्ड अन्तर्गत ए०पी०एस०एम० कॉलेज बरौनी, में पी०जी० की पढ़ाई नहीं होने से हजारों छात्र एवं छात्राएं स्नातकोत्तर शिक्षा से वैचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कॉलेज में पी०जी० की पढ़ाई शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बस का परिचालन

*2130. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखण्ड कुचायकोट एवं पंचदेवरी से पटना तक सरकारी बस का परिचालन नहीं होने के कारण आमजनता को कठिनाई होती है, एवं प्राइवेट बसों द्वारा मनमाने ढंग से पैसा वसूला जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों से सरकारी बस का परिचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षण कार्य कराना

*2131. श्री फतेह बहादुर सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के डिहरी अनुमंडल स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 में शिक्षकों की कमी होने का कारण बच्चों के नियमित पठन-पाठन का कार्य सुचारूपूर्वक नहीं हो पा रहा है, साथ ही शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त प्रशासन द्वारा अलग-अलग कार्य कराने हेतु प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अनुमंडल में शिक्षकों से शिक्षण कार्य ही कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विसंगति को दूर करना

*2132. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-24 बथनाहा (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला में नियोजित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक वरीय शिक्षकों (जनवरी, 2014 से जून, 2014 तक नियुक्त) का बेतन कनीय शिक्षकों (जुलाई, 2014 से दिसम्बर, 14 तक नियुक्त) से कम मिल रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इस विसंगति को दूर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण कराना

*2133. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेह)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत मैरवा प्रखण्ड मुख्यालय में खेल स्टेडियम नहीं है, जिस कारण उक्त प्रखण्ड के खेल प्रेमियों को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की कमी दूर करना

*2134. श्री राजवंशी महतो (क्षेत्र संख्या-141 चेरिया बरियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत छौड़ाही प्रखंड राजकीयकृत +2 विद्यालय, छौड़ाही एवं खोदावन्दपुर प्रखंड के श्री दुर्गा +2 विद्यालय, मेधौल को मान्यता वर्ष 2017 में दिये जाने के उपरांत शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*2135. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रखंडों एवं अल्पसंख्यक बहुल शाही क्षेत्र में कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय की स्थापना वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के उपरान्त हुयी है जिसमें प्रति वर्ष के०जी०बी०भी० टाईप 1 एवं 4 में 100 छात्राओं पर 30 लाख तथा के०जी०बी०भी० टाईप 3 में 200 छात्राओं पर 60 लाख रुपया खर्च होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रत्येक कस्तुरबा बालिका विद्यालय में पठन-पाठन सहित छात्रावास के संचालन हेतु 10पद स्वीकृत है, जिसपर प्रतिवर्ष लगभग 55 लाख खर्च होता है, परंतु कस्तुरबा विद्यालयों में छात्रों को वास्तविकता में इसका लाभ नहीं मिलता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक कस्तुरबा विद्यालयों में आवासित छात्राओं एवं कार्यरत कर्मियों की जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कला मंच का निर्माण कराना

*2136. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के वीरपुर प्रखंड के डीहपर पंचायत अन्तर्गत मुजफरा ग्राम में महादेव स्थान पर मंदिर है जिसके समीप नाट्यकला मंच नहीं रहने के कारण कलाकारों को कला के प्रदर्शन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर कला मंच का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मानक के अनुरूप भवन निर्माण कराना

*2137. श्री जितेन्द्र कुमार राय (क्षेत्र संख्या-117 मढ़ौरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत मढ़ौरा विधान सभा क्षेत्र के तुजारपुर, तेजपुरबा एवं अगहरा सहित अन्य पंचायतों में उत्क्रमित मध्य विद्यालयों के भवन निर्मित नहीं होने से छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सभी विद्यालयों में मानक के अनुरूप भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधूरे भवन का निर्माण कार्य पूरा करना

*2138. श्री कृष्णमूरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया (क्षेत्र संख्या-175 हिलसा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के बैन प्रखंड में 10+2 उच्च विद्यालय, नूरसराय के भवन निर्माण की स्वीकृति 2016 में दी गई है, संवेदक द्वारा दोनों विद्यालय का काम आधा-अधूरा करके छोड़ दिया है, भवन कमी के कारण बच्चे की पढ़ाई में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित विद्यालय के अधूरे भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुस्तकालय का जीर्णोद्धार

*2139. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरधाटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत शेरधाटी प्रखंड स्थित नारायण पुस्तकालय जर्जर अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पुस्तकालय का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2140. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बगहा में प0 उमा शंकर तिवारी महाविद्यालय, बगहा (बनकटवा) को अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के उत्थान के लिये य०जी०सी० एवं बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये अनुदान का महाविद्यालय के सचिव एवं प्राचार्य द्वाया दुरुपयोग किया गया है, जिस संदर्भ में अनियमितता की रिपोर्ट एवं कार्रवाई के संबंध में 6 मार्च, 2020 को य०जी०सी० की रिपोर्ट, निदेशक उच्च शिक्षा, डॉ० रेखा कुमारी, बिहार सरकार का ज्ञापांक 14/एम 7-16/2017-866, दिनांक 3 मई, 2019 और राज्यपाल सचिवालय, बिहार के पत्रांक बी०य०-41/2019, दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 जैसे पत्रों में स्थिति स्पष्ट है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वित्तीय अनियमितता पर कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विषयवार शिक्षकों का पदस्थापन

*2141. श्री चन्द्र शेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के सभी उत्क्रमित माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की कमी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों का पदस्थापन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ट्राईबल फूड पार्क का निर्माण

*2142. श्री मेवालाल चौधरी (क्षेत्र संख्या-164 तारापुर)---क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत संग्रामपुर प्रखण्ड के पंचायत ददरीजाला मौजा ददरीजाला में ट्राईबल फूड पार्क के निर्माण हेतु अंचलाधिकारी, संग्रामपुर द्वारा जमीन अधिग्रहित कर जिलाधिकारी, मुंगेर को सुपुर्द कर दिया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर ट्राईबल फूड पार्क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रधारी मंत्री--उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि ट्राईबल फूड पार्क की स्थापना हेतु प्रश्नगत स्थल के लिये भूमि अधिग्रहित नहीं कराई गई है।

ट्राईबल फूड पार्क की स्थापना हेतु 5.00 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिलों से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृति हेतु ट्राईफेड, जन-जातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जा सकेगा।

दर्जा दिलाना

*2143. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ0ज10))---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही प्रखण्ड के सोनमती मध्य विद्यालय स्थित है, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में जमीन भी उपलब्ध है और यह पंचायत के मुख्यालय में स्थित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को उच्च विद्यालय व इंटरमीडिएट स्कूल के स्तर का दर्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवनों एवं छात्रावास की मरम्मती

*2144. श्री अजोत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत टी०एन०बी० कॉलेज (स्था० 1883) 135 वर्ष पूर्ण कर चुका है, जिसमें आई०ए०/आई०एससी०/बी०ए०/बी०ए०ए०/एससी० प्रतिष्ठा एवं एम०ए०/एम०एससी० पाद्यक्रम में लगभग 8000 से अधिक छात्र/छात्राएँ अध्ययनरत हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि टी०एन०बी० कॉलेज का भवन एवं छात्रावास समुचित मरम्मती से वर्चित रहने के कारण जर्जर अवस्था में है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शैक्षणिक धरोहर के रूप में चर्चित उक्त महाविद्यालय के जर्जर भवनों एवं छात्रावास की मरम्मती का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2145. श्री अरुण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विक्रमांज प्रखण्डान्तर्गत जमोदी मध्य विद्यालय को वर्ष 2011-12 में उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है, जिसका भवन निर्माण नहीं किया गया है, जबकि पठन-पाठन व माध्यमिक बोर्ड का रजिस्ट्रेशन एवं फार्म भराई का कार्य इसी विद्यालय से सम्पन्न होता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त उत्क्रमित उच्च विद्यालय के भवन का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुशासनिक कार्रवाई करना

*2146. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि निवेशक (प्राथमिक शिक्षा) बिहार, को जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 630, दिनांक 28 सितम्बर, 2020 द्वारा शिक्षा पदाधिकारी, बहादुरपुर, दरभंगा के ऊपर अपने कार्यालय के ज्ञापांक 1003, दिनांक 12 अगस्त, 2020 द्वारा गठित जाँच कमिटी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन (पत्रांक 1045, दिनांक 10 सितम्बर, 2020) के आलोक में बहादुरपुर प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी-सह-जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 537, दिनांक 26 अप्रैल, 2020 द्वारा जिलाधिकारी, दरभंगा को अनुशासनिक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, बहादुरपुर, दरभंगा पर अनुशासनिक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अवैध खनन कार्य को बन्द करना

*2147. श्रीमती रश्मि बर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियांग)---क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत गौनाहा प्रखण्ड में बरबरीया मानपुर एवं सिटी गौनाहा में स्थानीय विभागीय पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के मिली भगत से विगत दो वर्षों से अवैध रूप से बालू एवं पत्थर का खनन किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसके लिए दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये अवैध खनन कार्य को बन्द करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

*2148. श्री जानेन्द्र कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-179 बाढ़)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज, बाढ़ में शिक्षकों हेतु सूचित पद कुल 58 है, परंतु उक्त कॉलेज में वर्तमान में 7 शिक्षक द्वारा मास्टर डिग्री की पढ़ाई करवाई जाती है, इन शिक्षकों को कुलपति महोदय के आदेश से अन्य कॉलेज में प्रतिनियुक्ति किया गया है साथ ही उक्त कॉलेज में हिंदी, अंग्रेजी, जीवविज्ञान एवं उर्दू विषय के शिक्षक नहीं हैं, जबकि उक्त कॉलेज में 5000 छात्र-छात्राएं अध्यनरत हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कॉलेज में सूचित पद के अनुसार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यथावत् रखना

*2149. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा ज्ञापांक 5237-40, दिनांक 15 जून, 2019 द्वारा प्रबंध समिति कमिटी गठित किया गया, जिसके विरुद्ध दूसरे पक्ष ने विशेष सचिव-सह-अपीलीय प्राधिकार, पटना में अपील वाद संख्या 26/2019 दायर किया है, जिसकी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मदरसा के अध्यक्ष द्वारा कार्यालय के पत्रांक 2212, दिनांक 2 जुलाई, 2020 के अंतर्गत दोनों पक्षों को सिविल सूट में जाकर विवाद समाप्ति का निर्देश दिया गया, अनुपालनार्थ प्रथम पक्ष द्वारा विवाद समाप्ति हेतु अभिलेख दिनांक 21 जनवरी, 2021 समर्पित किये जाने के बावजूद अध्यक्ष द्वारा ज्ञापांक 661, दिनांक 3 फरवरी, 2021 द्वारा कारण लगाते हुए द्वितीय पक्ष की कमिटी बना दी गयी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रथम अपील एवं सिविल सूट के निष्पादन तक आदेश के ज्ञापांक 5237-40, दिनांक 15 जून, 2019 को यथावत् रखने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2150. श्री हरिशंकर यादव (क्षेत्र संख्या-108 रघुनाथपुर) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा डॉ० प्रयनन्दन प्रसाद के द्वारा सारण प्रमंडल के अधीन राजकीय चुनियादी विद्यालयों में पदस्थापित एवं कार्यरत कुल 22 (बाईस) शिक्षकों को निदेशक प्रा० शि० बिहार, पटना के पत्रांक 989, दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 एवं एल० पी० ए० सं० 109/2018 में दिनांक 12 जुलाई, 2017 को पारित आदेश की अवहेलना करते हुए सेवा से बखास्त किया गया है, जबकि सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में सेवा बखास्तगी जैसे वृहद दंड बिना विभागीय कार्यवाही किये अधिरोपित नहीं करने का प्रावधान है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक दोषी क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2151. श्री गणेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत गया शहर में स्थापित “अनुग्रह नारायण मेमोरियल कॉलेज”, गया में वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा उसके दो वर्ष के पूर्व के वर्षों में साईकिल वितरण, भवन एवं सड़क के निर्माण कार्यों में अनियमितता का आरोप असोसिएट प्रोफेसरों द्वारा प्रभारी प्राचार्य पर लगाया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि मगध विश्वविद्यालय, बोध गया के ज्ञाप सं० 460/जी० आई० ए०/२०२० द्वारा जांच की कार्रवाई प्रारम्भ होने के बावजूद सरकार द्वारा प्रभारी प्राचार्य को प्रतिकूलपति में प्रमोशन देकर जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा में पदस्थापित कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड (1) में वर्णित अनियमितता के लिए दोषी पर कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का जीणोंद्वारा

*2152. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया सदर बाजार स्थित जननायक कपूरी ठाकुर इंटर विद्यालय के अन्तर्गत निर्भित स्टेडियम जबरं रहने से विद्यालय के छात्र-छात्राओं को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्टेडियम का जीणोंद्वारा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोन्ति देना

*2153. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकूण्ठपुर) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली के अनुसार पंचायत एवं प्रखण्डस्तरीय नियोजित शिक्षकों को 8 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूरी होने पर स्नातक ग्रेड के शिक्षक पद पर 50 प्रतिशत प्रोन्ति से भरना है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड के शिक्षक के पद पर प्रोन्ति देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राज्यस्तरीय स्टेडियम का निर्माण

*2154. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनियाँ (अ० जा०))--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियाँ विधान सभा क्षेत्र में राज्यस्तरीय स्टेडियम नहीं रहने के कारण उक्त क्षेत्र के युवाओं को खेल-कूद के क्षेत्र में अपने प्रतिभा को उभारने का मौका नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के मोहनियाँ में राज्यस्तरीय स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

*2155. डॉ० सौ० एन० गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निवंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला सहित राज्यभर में जमीन रजिस्ट्री होने वाद सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र वासिका की अभिप्रमाणित प्रति सरकारी प्रावधानानुसार 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना है, परन्तु निवंधन विभाग द्वारा इसे 2-3 महीनों के बाद उपलब्ध कराया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि निवंधन कार्यालयों द्वारा वासिकाओं को आमजन के लिये बेब कॉपी की प्राप्ति हेतु बेबसाइट पर अपलोड किया जाना है, जो विगत 2-3 वर्षों से बन्द है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रावधान के विपरित कार्य करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रधारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक। सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति विहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सेवा के रूप में चिन्हित है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं० 1942।, दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 के परिशिष्ट । की कॉडिका 9 में उल्लिखित समयावधि में उक्त सेवाओं को उपलब्ध कराया जाना बाध्यकारी है। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं को ससमय उपलब्ध नहीं कराये जाने पर अधिनियम की धारा 6 में अपील का तथा धारा 7 में दण्ड का प्रावधान है। इसके तहत सेवा प्राप्त करने के लिये पात्र व्यक्ति के द्वारा सक्षम अपीलीय प्रधिकार के समक्ष अपील किया जा सकता है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक। निवंधन अधिनियम, 1908 के तहत दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी को बेबसाइट पर प्रदर्शित करने की बाध्यता नहीं है। पूर्व में आमजन की सुविधा के लिये बेबसाइट पर दस्तावेजों को PDF प्रदर्शित किया जाता था। विभागीय डाटा सेन्टर में Space के अभाव में वर्ष 2017 से आगे का PDF अपलोड नहीं हो सका, परन्तु वर्तमान समय में राज्य डाटा सेन्टर पर 01 जनवरी, 2021 से निर्धारित होने वाली दस्तावेजों का PDF अपलोड किया जा रहा है तथा चरणबद्ध तरीके से इसके पूर्व के अविध के दस्तावेजों के PDF को अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है।

(3) कॉडिका (1) एवं (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

चहारदीवारी निर्माण कराना

*2156. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ० जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत बेलसरा के सार्वजनिक उच्च विद्यालय, बेलसरा के चहारदीवारी का निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे विद्यालय में छात्रों के पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

***2157.** श्री विनोद नारायण झा (क्षेत्र संख्या-32 बैनीपट्टी) -- क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री ने तीन वर्ष पहले दरभंगा में अधिकारियों को महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय, दरभंगा में हाथी दौत एवं अन्य महत्वपूर्ण पुरावशेषों का संरक्षण एन० आर० एल० सी० लखनऊ से कराने का निदेश दिया था, निदेश के आलोक में एन० आर० एल० सी० लखनऊ से कराने का निदेश दिया था, निदेश के आलोक में एन० आर० एल० सी० लखनऊ से द्वारा तीन वर्ष पूर्व संबर्धित विभाग कार्य संपादित तो किया गया, परन्तु उनके प्रदर्श हेतु अब तक दीर्घा का निर्माण नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दीर्घा निर्माण हेतु भवन निर्माण निगम लिंग द्वारा तीन वर्ष पूर्व संबर्धित विभाग को प्रस्ताव दिया गया है, परन्तु अभीतक विभाग में लौंबत पड़ा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय में दीर्घा निर्माण करने और विलंब करने वाले दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम बनाना

***2158.** श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ) -- क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रखंडों में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु स्टेडियम बनाने की योजना कार्यान्वित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत राधोपुर प्रखंड में युवाओं के खेल-कूद एवं अन्य शारीरिक गतिविधियाँ हेतु स्टेडियम नहीं हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड के रूस्तमपुर एवं मल्लिकपुर पंचायत में क्रमशः 32 बीघा एवं 6 बीघा सरकारी भूमि उपलब्ध है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैशाली जिला के उक्त स्थानों पर स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मध्य विद्यालय में उत्कमित करना

***2159.** श्री अचमित छहिंदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज(अ० जा०)) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखंड के ग्राम पंचायत पूर्वी बीरनगर में प्राथमिक विद्यालय, हरिजन टोला टपरा वर्ष 1980 में स्थापित महादलित टोला का सबसे पुराना विद्यालय है, जिसे अबतक उत्कमित नहीं किया है जिसके कारण महादलित समुदाय के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु दूर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक, उक्त विद्यालय को मध्य विद्यालय में उत्कमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय का निर्माण

***2160.** श्रीमती बीमा भारती (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ से रूपौली की दूरी 65 कि० मी० है, रूपौली विधान सभा बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर महाविद्यालय नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने पूर्णियाँ जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार रूपौली में महाविद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीणोंदार कराना

*2161. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम शहर में शेरशाह सूरी का बनाया सुखा रौजा है, जो 25 एकड़ में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त रौजा पर बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है तथा रौजा में गंदगी का अंबार लगा है, घनी आबादी के बीच में रहने के कारण वहाँ पर शाम में भीड़ लगा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त रौजा का जीणोंदार कर चहारदीवारी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है। रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम शहर में अवस्थित शेरशाह सूरी के पिता हसन शाह का मकबरा है जिसे सुखा रौजा भी कहा जाता है, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केन्द्रीय सुरक्षित घोषित स्मारक है।

(2) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना के पत्रांक 2127, दिनांक 25 फरवरी, 2021 द्वारा बताया गया है कि विगत कई वर्षों में उक्त रौजा पर बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण की कोई घटना नहीं हुयी है न ही सुरक्षित स्मारक के परिसर में गंदगी का अंबार लगता है।

(3) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना के पत्रांक 2127, दिनांक 25 फरवरी, 2021 द्वारा बताया गया है कि उक्त स्मारक की चहारदीवारी बनी हुयी है तथा स्मारक भी संरक्षण की अच्छी स्थिति में है।

कमियों को दूर कराना

*2162. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राजमणि उच्च विद्यालय, भोरे शाहपुर तथा उच्च विद्यालय, होसोपुर में छात्र-छात्राओं के अनुपात में कक्षा हेतु कमरे, हॉल तथा चहारदीवारी नहीं रहने के कारण पठन-पाठन में बच्चों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित विद्यालयों में उक्त सभी कमियों को दूर कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभिलेख तैयार कराना

*2163. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के धारा 8 के तहत दिव्यांगजनों का व्यौरा अभिलेख तैयार कराया जाना है ताकि आपदा की स्थितियों में उनके लिये सुरक्षा एवं संरक्षण का उपाय किया जा सके एवं सहायता लाभ पहुँचाया जा सके, इस आशय का उल्लेख राज्य आयुक्त (दिव्यांगजन) विहार, पटना के पत्रांक 861, दिनांक 30 जुलाई, 2019 में किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पूर्वी चम्पारण जिला के दिव्यांगजनों का व्यौरा अभिलेख तैयार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय खोलना

*2164. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली विधान सभा के माँझा और बरौली में उच्च शिक्षा हेतु डिग्री महाविद्यालय नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु गोपालगंज, सीबान और छपरा जाना पड़ता है, जिस कारण हजारों छात्र-छात्रायें उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*2165. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के मटिहानी विधान सभा के चार प्रखंडों में एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं होने से छात्रों को अत्यंत परेशानी होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्रहित में मटिहानी में एक डिग्री कॉलेज खोलना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*2166. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के करपी प्रखण्ड में वर्ष 2015 में सर्व शिक्षा परियोजना के तहत 20 नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति दी गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों के भवन के अभाव में इसे अन्य विद्यालयों के साथ संलग्न कर दिया गया है, जिसके कारण छोटे बच्चों को अधिक दूरी होने के कारण विद्यालय जाने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नवसृजित विद्यालयों का भवन निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की नियुक्ति करना

*2167. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी उत्कमित उच्च विद्यालयों में एक या दो शिक्षक होने के कारण छात्र-छात्राओं को प्राईवेट ट्यूशन पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे गरीब परिवारों के बच्चों के लिये कठिन समस्या है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत टेढ़ागाछ प्रखण्ड में 3580 छात्र-छात्र में केवल 35 शिक्षक हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बस का परिचालन कराना

*2168. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरुग्राम)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुराउ प्रखंड मुख्यालय से मथुरापुर, कपस्या से गया मेडिकल कॉलेज होते हुये गया सरकारी बस स्टैंड तक सरकारी बस का परिचालन नहीं होने से प्राइवेट बस मालिकों द्वारा मनमाफिक किराया वसूली के कारण ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक उक्त स्थान पर सरकारी बस का परिचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रधारी मंत्री--बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बस बेड़ा में बसों की कमी है। वर्तमान में प्रस्तावित मार्ग पर बस परिचालन करने का प्रस्ताव निगम के विचाराधीन नहीं है।

प्राइवेट बस मालिकों द्वारा मनमाफिक किराया वसूलने संबंधी तथ्य की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, गया को विभागीय पत्रांक 1355, दिनांक 24 फरवरी, 2021 द्वारा निदेशित किया गया है।

मानदेय में बढ़ोतरी

*2169. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता, अतिथि प्रयोगशाला सहायक एवं अतिथि अनुदेशक कार्यरत हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि संविदा व्याख्याता, संविदा प्रयोगशाला सहायक एवं संविदा अनुदेशक के मानदेय में बढ़ोतरी होने पर अतिथि व्याख्याता, अतिथि प्रयोगशाला सहायक एवं अतिथि अनुदेशक का भी मानदेय बढ़ाये जाने का राज्य सरकार द्वारा पाँच वर्ष पूर्व का निर्णय लिये जाने के उपरान्त अभीतक मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त संविदा पदों पर नियुक्त कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण कराना

*2170. श्री लखेंद्र कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-130 पातेपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत प्रखंड पातेपुर के श्री रामचन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित खेल मैदान स्टेडियम निर्माण की सारी अईताओं को पूरा करता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त खेल मैदान पर स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री पूरा कराना

*2171. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा में स्नातक और स्नातकोत्तर का सत्र तीन से पाँच साल तक विलम्ब से चल रहा है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को समस्य डिग्री नहीं मिलने से कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री समय पर पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2172. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण कराने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2010 में निर्णय लिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी प्रखंड में अबतक स्टेडियम का निर्माण नहीं कराये जाने के कारण उक्त प्रखंड के युवाओं को खेल-कूद के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका नहीं मिल पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण कराना

*2173. श्री भृदेव चौधरी (क्षेत्र संख्या-160 धोरेया (अ0जा10))--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा 2010-11 में निर्णय लिया गया था कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत रजौन प्रखंड स्थित राजकीय उच्च विद्यालय, जेठौर में स्टेडियम बनाने हेतु भूमि एवं अन्य अहंताएँ मौजूद हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बहाली प्रक्रिया आरंभ करना

*2174. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ0जा10))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली की प्रक्रिया विगत एक साल से रुकी हुई है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रिट संख्या सी0डब्लूजे0सी0 7651/2017, सी0डब्लूजे0सी0 1035/2018 से उद्वेत एम0जे0सी0 नं 3478/2019 के आलोक में इनके भर्ती के विषय को संज्ञान लगाया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को परीक्षा ली गई जिसमें 11 फरवरी, 2020 को परीक्षाफल घोषित किया गया था, उक्त परीक्षा का संशोधित परीक्षाफल मेमो नं 227, दिनांक 14 जुलाई, 2020 को जारी किया गया है, जिसमें केवल 3523 अध्यर्थी सफल घोषित किये गये थे ;

(3) क्या यह बात सही है कि पद वर्ग समिति द्वारा दिनांक 3 मार्च, 2020 को 8386 पद के लिये स्वीकृती भी मिल चुकी है, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन सभी उत्तीर्ण अध्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया आरंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*2175. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में सीनेट एवं सिंडिकेट समिति का अभीतक गठन नहीं हुआ है जिसके कारण विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन सभी महाविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव नहीं हो पा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन अधिकांश महाविद्यालयों में 75 प्रतिशत से अधिक स्वीकृत पद रिक्त होने के कारण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं होता है तथा सभी महाविद्यालयों में मूलभूत सुविधा सहित आधारभूत संरचनाओं का अभाव है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय में सीनेट एवं सिंडिकेट का गठन तथा अधीनस्थ महाविद्यालयों में मूलभूत सुविधा सहित आधारभूत संरचनाओं को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

*2176. श्री समबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के नियोजित शिक्षकों के लिये अधिसूचित नई सेवा शर्त नियमावली, 2020 के अनुसार महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों को अपने नियोजन इकाई में स्थानांतरण हेतु ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है, किन्तु पुरुष शिक्षकों के लिये इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि अल्प वेतन पर घर से दूर पदस्थापित लाखों पुरुष शिक्षकों को शिक्षण कार्य सम्पादन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पुरुष शिक्षकों के लिये भी ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा हेतु सेवा शर्त में बदलाव कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2177. श्री महानंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि श्री सुरेश कुमार पाठक संविदा पर वन विभाग में औरंगाबाद वन प्रमण्डल, अरवल वन प्रक्षेत्र में रेंजर के पद पर कार्यरत हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के करपी और पिपरा बंगला पौधशाला में उपयोग हेतु वर्ष 2020 में गोबर एवं मिट्टी का खरीद कर ट्रैक्टर नं. BR56A/5821, BR56A/5688 और BR56A/9742 वाले ट्रैक्टर से दुलाई किया गया और बिल का भुगतान किया गया है। RTI के तहत माँगी गयी सूचना से प्राप्त विपत्र में दिये गये गाड़ी का नं. परिवहन App से मिलाने पर ये नं. टाटा स्टार बस गाड़ी, तीन पहिया वाहन और बोलेरो पिकअप का पाया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री सुरेश कुमार पाठक रेंजर पर फर्जी बिल भुगतान करने के आरोप में कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

मीटिंग हॉल का पुनर्निर्माण

*2178. मो० आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत कसबा प्रखंड के बरैता पंचायत के कलानंद उच्च विद्यालय, गढ़बनैली का मीटिंग हॉल विगत 15 वर्षों से जर्जर है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में मीटिंग हॉल का पुनर्निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नये भवन एवं पर्याप्त वर्ग भवन का निर्माण

*2179. श्री मनोज मजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत गढ़हनी प्रखंड के बड़ौरा उर्दू प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर होने के कारण विगत 10 वर्षों से बंद पड़ा है तथा गढ़हनी प्रखंड के ही मंदुरा मध्य विद्यालय के लिये मंदुरा गाँव में ही जमीन होने के बावजूद कक्षा के अनुरूप पर्याप्त वर्ग भवन का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बड़ौरा उर्दू प्राथमिक विद्यालय के भवन को तोड़कर नये भवन एवं मंदुरा मध्य विद्यालय की जमीन पर भवन का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पढ़ाई प्रारम्भ करना

*2180. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखण्ड अन्तर्गत उच्च विद्यालय, रामगढ़ में 1450 छात्र-छात्रायें अध्ययन करते हैं ;

- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में 10+2 की पढ़ाई प्रारंभ करने का आदेश राज्य सरकार द्वारा 2013 में ग्राप्त है, पर भवन के अधाव में पढ़ाई नहीं हो पा रही है ;
 (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में 10+2 के लिये भवन का निर्माण कर पढ़ाई प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनियमितता की जाँच करना

*2181. श्री सउद आलम (क्षेत्र संख्या-53 ठाकुरगंज)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज प्रखण्ड में 30 प्रतिशत ईंट का भट्ठे अवैध हैं तथा मिट्टी कटाई में भी नियम का पालन नहीं किये जाने से ग्रामीणों को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार ईंट भट्ठे के निर्माण एवं मिट्टी कटाई में अनियमितता की जाँच करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

एन०ओ०सी० प्रदान करना

*2182. श्री अशोक कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-92 सकरा (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखण्ड अन्तर्गत जगदीशपुर, बधनराई पंचायत में महत्व श्याम सुन्दर दास द्वारा केन्द्रीय विद्यालय हेतु 1 एकड़ जमीन दान में दिया गया है ;
 (2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा अभीतक एन०ओ०सी० नहीं प्रदान किये जाने के कारण आगे की कार्रवाई लौंगित है ;
 (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार केन्द्रीय विद्यालय के लिये लौंगित एन०ओ०सी० प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आँगनबाड़ी केन्द्रों का किराया देना

*2183. श्री चन्द शेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला भेलना पंचायत के आँगनबाड़ी केन्द्र सं० 192, 193, 229, 273, बराही पंचायत का केन्द्र सं० 133, 135, 226 तथा गम्हरिया प्रखण्ड के भेलवा पंचायत के केन्द्र सं० 9, 10 सहित अन्य निजी भवन में संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों का किराया सरकार द्वारा वर्ष 2016 से नहीं मिला है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों का किराया दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन को पूर्ण करना

*2184. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखण्ड में उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिरसिया कला का विद्यालय भवन बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा वर्ष 2014 में निर्माण प्रारंभ कर दो मजिला भवन बनाया गया, जिसका छत चूने से और अन्य कार्य अधूरा रहने के कारण विद्यालय की कक्षाएँ अभीतक उक्त भवन में शुरू नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये विद्यालय भवन को पूर्ण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :

दिनांक 16 मार्च, 2021 (इ०)

बिंस०मु० - 130 (एल०ए०), 2020-21 डी०टी०पी० -550

राज कुमार सिंह;

सचिव,

बिहार विधान सभा ।